न्यायालय उपखण्ड अधिकारी........

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तामील
पत्रावली पेश हुई। वादी व प्रतिवादी उप। पत्रावली में प्रतिवादी अधि. द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया एवं वादी अधि. द्वारा जवाब मौखिक रूप में दिया गया। पत्रावली में यह बात सामने आयी, जो कि वादी अधि. द्वारा वाद पत्र में, एवं आज की दोहराई गई थी, उसी खसरा के, एवं उसी खातेदारों के समक्ष, अति. कलेक्टर न्यायालय में 14(5) LR के तहत प्रार्थना पत्र वाद दाखिल होने से पहले किया जा चुका है जो अभी तक निर्णित नहीं है। आज वादी अधि. द्वारा बहस में बोला गया कि अति. कले. न्यायालय में 14(5) केवल एक प्रार्थना पत्र है परन्तु उपखण्ड न्यायालय के समक्ष यह 88, 89, 209 के तहत	

declaration का वाद फाइल किया गया है। यह वाद खारिज होने योग्य है, क्योंकि

(1) ऐसा वाद तभी इस न्यायालय में लाना उचित है जब 15(5) के तहत कोई प्रार्थना पत्र प्रतिवादी का अलोटमेंट कैंसिल करने को न लगाया गया हो, क्योंकि 88 धारा में 15(5) LR सम्मलित है।

(2) अब जब प्रार्थना पत्र दाखिल हो की गया है तो उपरोक्त न्यायालय का जो भी निर्णय होगा, उससे यह वाद प्रभावित होगा। अगर उपरोक्त न्यायालय ने यह वाद प्रतिवादी के हक में मानी अलोटमेंट को सही मान लिया तो यह वाद का कोई मूल नहीं रह जायेगा और अगर वादी के हक में हुआ तो उपरोक्त खसरा बिलानाम सरकार दर्ज किया जायेगा और उसपर 88 का वाद ना पर... अलोटमेंट ... नहीं ...

हुक्म या कार्यवाही मय इशारात

जब सरकार द्वारा बिलानाम जमीन पर कब्जे की दिनांक तय की जायेगी। अत: वाद खारिज किया जाता है

उपखण्ड अधिकारी
(राज.)

Scanned by CamScanner